

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म में जारी हुए

तारीख हुक्म

श्रीगणेश बनाम इलाहाबादी
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
प्राथमिक पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु०-न० 110/2018

11-1-23

पत्रवाही पेश हुई। कक्षावादी वरिष्ठ न्यायिक/ न्याय अधिकारी वर/ अन्य कार्य में प्रत्यक्ष/ कस्टोडियन में है। पत्रवाही पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-3-23 को पेश हो।
उत्तराखण्ड

17-1-23

वडील प्राथमिक के प्राथमिक पत्र मैसर्स तलवी डा पेश करने पर पत्रवाली आगामी पेशी 15-3-23 से पूर्व तलब होकर पेश हुमी। वडील प्राथमिक मय पक्षादार ने उपास्थित होकर एक प्राथमिक पत्र इस माध्यम डा पेश किया कि प्राथमिक व प्रतिवादीगण के महसूस आपस में राजीनामा हो गया है जिससे प्राथमिक अपने टी.आई. को छोड़ने नहीं चलाना चाहते। तथा उसी स्तर पर खारिज कर चेंसल परमायागोके का निवेदन किया। वडील प्राथमिक द्वारा उस्तुत प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के उसी स्तर पर खारिज किमे जाये ही स्वीकृति दी जाती है। पत्रवाली चेंसल शुभार होकर वर उम्मील दाखिल दफ्तर हो।

श्रीगणेश जी एन/ मु०-न० 110/2018/ यलाना दाखिल

17/1/23

15/1/2023

Dilip Singh
17/01/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

